न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– राजेश जोशी आर.ए.एस.

वाद संख्या 255/दावा /2011

1– बद्रीलाल आ. रूघनाथ उम्र 55 जाति धाकड निवासी ग्रम कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी (राज0)

–वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान नायब तहसीलदार, उपतहसील तालेडा एवं जिला बून्दी (राज.)
2 श्रीमान तहसीलदार सा0 बून्दी तहसील बून्दी जिला बूंदी (राज.)
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी जिला बून्दी

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् – इन्द्राज दुरूस्ती, अधिकार घोषणा

उपस्थित :–
1– श्री लीलाधर सिंह एवं नन्दसिंह सौलंकी अधिवक्ता वादी
2– पेरोकार सरकार राज्य की ओर से।

दिनांक :– 26.02.2018

– निर्णय :–

1– वादी की ओर से यह वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती एवं अधिकार घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा का दि. 30.11.11 को प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया था।

2– वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 792/335 रकबा 4 बीघा बारानी वाके ग्राम कैथुदा, पटवार क्षेत्र कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी में विस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी के द्वारा कृषि योग्य बनाई थी जिसको मिसल नं. 334 के द्वारा दिनांक 30.11.1985 को आवंटित की गई उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में तरमीम नही हो रही थी। जिससे वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा था इस हेतु वादी के द्वारा दि. 13.10.11 का प्रतिवादी सं0 1 को एक प्रार्थना पत्र उक्त कृषि भूमि की तरमीम करने हेतु पेश किया था। हल्का पटवारी कैथुदा व कानूगो सा. द्वारा मौके पर पंहुचकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जिसमें बताया गया कि वादी वर्तमान खसरा नं. 335 में से केवल 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर काबिज है। शेष 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि खसरा नं. 334 पर काबिज होकर वादी काश्त करता चला आ रहा है। खसरा नं. 334 व 335 की सीमायें समानान्तर मिली हुई है जिसके कारण वादी अपनी भूमि को 335 खसरा नं. में ही मानता चला आ रहा है। मौके पर पत्थर का कोट लगा रखा है। इस प्रकार मौके की रिपोर्ट तैयार कर हल्का पटवारी व कानूनगो सा. ने उपतहसील में पेश की। जिसकी नकलें वादी के द्वारा दिनांक 19.10.2011 को प्राप्त की गई। इसलिए वादी अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर मौके पर कब्जे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती कराने का अधिकारी है। खं. नं. 778/334 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में

Scanned by CamScanner

सिवायचक दर्ज है जिस पर वादी वर्षो से बहैसियत खातेदार होकर काश्त करता चला आ रहा है। इसलिए वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर इस भूमि का खातेदार हो चुका है। वादी को सन् 1985 में 4 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। वादी वर्तमान में भी खं. नं. 335 में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर एवं ख. नं. 334 में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 व 2 को आदेश दिया जावे कि वे वादी को मौका रिपोर्ट 14.10.2011 एवं वादी के खाते एवं कब्जे के आधार पर दुरस्ती करके वादी को ख.सं. 335 में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि व ख.सं. 334 में से 2 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे। प्रति. सं. 1 व 2 वादी को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है इसलिए प्रति. सं. 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे।

3– वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया। जिसमें वाद वर्णित भूमि को वादी के आवंटन होना स्वीकार किया परन्तु पटवारी रिपोर्ट के अनुसार मौका व रिकार्ड का मिलान नही होने से वादी की भूमि को तरमीम नही किया जा सकता है।

4– वादीगण की ओर से बद्रीलाल पी.डब्लू –1 का साक्ष्य में शपथपत्र पेश किया तथा साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये जिनमें प्रदर्श –1 जमाबन्दी सम्वंत 2066–2069, प्रदर्श – 2 जमाबन्दी सम्वत सम्वंत 2066–2069, प्रदर्श – 3 तरमीम प्रार्थना पत्र, प्रदर्श – 4 मौका रिपोर्ट, प्रदर्श – 5 आवंटन का आवेदन पत्र ।

6– हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिनका विवचेन एवं विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा रहा है :–

7– वादी कृषि भूमि ख.सं. 792/335 रकबा 4 बीघा जो वाके ग्राम कैथुदा में स्थित है का रिकार्डेड खातेदार है जो प्रदर्श –1 से प्रमाणित है तथा वादी भूमि खसरा सं. 778/334 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर काबिज है जो प्रदर्श –4 से प्रमाणित है। वादी भूमि खसरा सं. 778/334 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर कब्जा मुखालफना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरस्त कराना चाहता है परन्तु वादी 778/334 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर कब्जा मुखालफना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर सकता है क्योकि उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है जो प्रदर्श –2 से प्रमाणित है। राज्य सरकार के विरूद्ध कब्जा मुखालफना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किया जा सकता है क्योकि राज्य सरकार के विरूद्ध कब्जा मुखालफना लागू नही होता है। इस कारण वादी वादपत्र में चाही गई प्रार्थना सं. 1 की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया जाता है। जहा तक वादी को ख.सं. 778/334 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा में से 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम कैथुदा में स्थित है से प्रतिवादी सं. 1 व 2 के द्वारा बेदखल करने का प्रश्न है तो कानूनन प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वादी को जबरन बेदखल करने का अधिकार प्राप्त नही है। जब वादी का आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा ही नही था तो उसे खातेदारी अधिकार दिये गये इसका जिम्मेदार कौन है? तथा जब तक आवंटन शुदा भूमि की सही तरमीम नही होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतित होता है क्योकि उक्त भूमि पर वादी का कब्जा है जो मौका रिपोर्ट प्रदर्श –4 से प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में वादी वादपत्र में चाही गई प्रार्थना सं. 3 की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

–::आदेश::–

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख.

Scanned by CamScanner

335 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा एवं कब्जे काश्त की भूमि ख.सं. 778/334 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा जो ग्राम कैथुदा में विस्थित है में से वादी को बेदखल नही करे, वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे।

वाद व्यय पक्षकार अपना– अपना वहन करेगे उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.2.18

(राजेश जोशी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा
जिला बून्दी

Scanned by CamScanner